# तलाक़ के मसाइल

2

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है।

सब तअरीफ़े अल्लाह तअला के लिये हैं जो सब जहानों का पालने वाला है। हम उसी की तअरीफ़ करते और उसी का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं, वह अकेला है। कोई उसका साझी व शरीक नहीं और मुहम्मद सल्ललाहु अलेहि व सल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं।

अल्लाह की बेशुमार रहमतें, बरकतें और सलामती नाज़िल हो मुहम्मद सल्ल. पर और उनकी आल व औलाद और असहाब पर ।

अम्मा बअद !

**''अल्लाह का फ़रमान''**

1. जो लोग कुरआन के कुछ हुक्मों (बातों) को मानें और कुछ का इन्कार करें उनकी सज़ा दुनिया की जिन्दगी में रूसवाई और आख़िरत में दर्दनाक अज़ाब है। (बक़र :85)
2. जो लोग अल्लाह के हुक्मों और हिदायतों को (जान–बूझकर) छिपाते हैं, ऐसों पर अल्लाह और तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। (बक़रः–159)
3. (ऐनबी सल्ल.) तेरे रब की बढ़ाई की क़सम–कोई शख़्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता, जब तक आप सल्ल. के हर फ़ैसलेको ख़ुशी–ख़ुशी तस्लीम न कर लें। (निसा–65)
4. ऐ ईमान वालों! इन्साफ़ पर क़ायम रहो! चाहे तुम्हारा अपना नुक़्सान हो या मां–बाप का या रिश्तेदारों का, हर हाल में गवाही दो और सच्ची गवाही दो। निसॉ–135)
5. ऐ ईमान वालों! (मोमिनों) अल्लाह की ख़ातिर इन्साफ़ की ग़वाही दो। किसी की दुश्मनी तुमसे इन्साफ़ का दामन छोड़ने का जुर्म न करा दे। (माईदा–8)
6. मोमिन सब आपस में भाई–भाई हैं, तो अपने दो भाईयों में सुलह करा दिया करो। (हुजुरात–10)
7. क़ौम, क़बीले और बिरादरी सिर्फ़ पहचान के लिये हैं, तुम में अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला वह है, जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। (हुजुरात–13/)
8. उस दिन से डरो, जिस दिन तुम अल्लाह के सामने लोट कर जाओगे। हर शख़्स अपने आमाल का पूरा–पूरा बदला पायेगा। (बक़रः–281)
9. ऐ ईमान वालों! इस्लाम में पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ। (बक़रः–208)

**''तलाक़ का बयान''**

लुग़त में तलाक़ के मआनी बंधन को खोलना है और शरह में ''तलाक़'' छोड़ दैने, तर्क कर देने यानि निकाह की गिरह खोल देने को कहते हैं।

1. इब्ने उमर रज़ि. से रिवायत है कि रसूल सल्ल. ने फ़रमाया–''हलाल चीज़ों में से अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा ना पसंदीदा (बुरी) चीज़ तलाक़ है। (अबुदाऊद जिल्द 2 हदीस 411/इब्ने माजा 2018) (इमाम हाकिम ने सही कहा–)
2. इब्ने उमर रज़ि. से रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को अहदे नबवी में तलाक़ दी जबकि वह हालते हैज़ में थी। पस उमर रज़ि. ने इसके बारे में आप सल्ल. से मसला पूछा तो आप सल्ल. ने फ़रमाया ''उसे कहो कि रूजुअ कर ले और उसे उस वक्त तक रोक ले कि तुहर (पाकी) शुरू हो जाये। फिर अगर चाहे तो उसे रोक ले और चाहे तो तलाक़ दे दे। सुहबत करने से पहले। यह पाकी वह इद्दत है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है कि उसमें औरतों को तलाक़ दी जाये।

(बुख़ारी 5251/मुस्लिम 2695)

मुस्लिम की रिवायत में है कि उसे कहो'' उससे रूजुअकर ले! फिर उसे चाहिये कि तलाक़ ऐसी हालत में दे कि पाक हो या हामिला। (2696)

बुख़ारी की एक दूसरी रिवायत में है कि यह एक तलाक़ शुमार होगी। (5252)

3. इब्ने अब्बास रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. के दौर में, अबु बकर रज़ि. के दौरे ख़िलाफत में और उमर रजि. के इब्तेदाई, (2) दो साला दौरे ख़िलाफत में तीन तलाकें (एक मजलिस की) एक ही शुमार होती थी। उमर रज़ि. ने फ़रमाया–लोगों ने ऐसे मामलें में जल्दी की जिसमें उनके लिये सहूलत दी गई थी। पस उन्होंने तीन को तीन ही नाफ़िज़ कर दिया। (मुस्लिम 2706–2707)
4. मेहमूद बिन लबीद रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. को इत्तेला दी गई कि एक शख़्स ने अपनी बीवी को इकटठी तीन तलाकें दे दी है। (यह सुनकर) आप सल्ल. ग़ज़ब नाक हो कर खड़े हुए और फ़रमाया ''क्या अल्लाह की किताब के साथ खेला जा रहा है, जबकि मैं अभी तुम्हारे बीच मौजूद हूँ। (नसई 3433–सही)
5. इब्ने अब्बास रज़ि. से रिवायत है कि– अबु रूकाना ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी। रसूल सल्ल. ने उसे हुक्म दिया कि रूजअ कर लो। अबु रूकाना बोले मैं ने उसे तीन तलाकें दी हैं। आप सल्ल. ने फ़रमाया–मुझे मालूम है, तुम उससे रूजुअ कर लो। (अबु दाऊद ज़ईफ़ 2178)
6. अबु हुरैरा रज़ि. से रिवायत है– नबी सल्ल. ने फ़रमाया–तीन चीजों में संजीदगी और हंसी मज़ाक़ में कही गई बात वाक़ेअ़ हो जाती है। 1. निकाह 2. तलाक़ 3. रूजुअ। (तिर्मिज़ी 1049, अबुदाउद जिल्द 2 हदीस 428, इब्ने माजा 2039 )

7. सोबान रज़ि.से रिवायत है कि रसूल सल्ल. ने फरमाया– जिस औरत ने अपने शौहर से बिना वजह तलाक़ मांगी उस पर जन्नत की खुशबु हराम है। (तिर्मिज़ी 1052/इब्नेमाजा–2055)

8. अल्लाह के नज़दीक यह बहुत बड़ा गुनाह है कि एक आदमी किसी औरत से निकाह कर ले और फिर जब अपनी ज़रूरत पूरी कर ले तो उसे तलाक़ दे दे और उसका मेहर भी अदा न करे।

(इब्ने उमर रज़ि. हाकिम–सही)

9. मियां बीवी को जुदा करना शैतान का सबसे ज़्यादा पंसदीदा अमल है। (जाबिर राजे.–मुस्लिम)

10. नबी सल्ल. ने फ़रमाया–वह शख़्स हम में से नहीं जो किसी औरत को उसके शौहर के ख़िलाफ़ भड़काये या बहकाए। (अबु हुरैरा रज़ि.–अबु दाऊद 2157–सही)

## (''तलाक़'' कुरआने मजीद की रोशनी में)

1. हैज़ के दौरान तलाक़ देना मना है।

2. ग़ैर हामिला और मदख़ूला औरत की इद्दते तलाक़ तीन हैज़ या तीन तुहर है।

3. रूजई तलाक़ हो तो दौराने इद्दत अगर शौहर रूजुअ करना चाहे तो वली को उसमें रूकावट नहीं डालना चाहिये।

4. रूजई तलाक़ में इद्दत ख़त्म होने से पहले–पहले शौहर जब चाहे रूजुअ कर सकता है। (बक़र 228)

5. रूजई तलाक़ के मौक़े जिन्दगी में सिर्फ दो बार हैं।

6. तीसरी तलाक़ जिसे तलाक़े बाइन कहा जाता है, के बाद रूजुअ का हक़ बाक़ी नहीं रहता बल्कि मियां–बीवी में अलहेदगी हो जाती है।

7. तलाक़ देने के बाद औरत को दिया हुआ मेहर या दुसरा सामान जैसे ज़ेवर–कपड़ा वग़ैरह वापिस नहीं लेना चाहिये।

8. अगर कोई तलाक़ पाई औरत दूसरा निकाह कर ले और दूसरा शौहर सोहबत करने के बाद अपनी आज़ाद मर्ज़ी से उसे तलाक़ दे दे तो वह औरत इद्दत गुज़रने के बाद अपने पहले शौहर से अगर (दोनों चाहें) निकाह कर सकती है। (बक़रः– 230)

9. अगर मर्द चाहे तो तलाक़ का हक़ औरत को दे सकता है ऐसी हालत में औरत का फ़ैसला क़तई तौर पर नाफिज़ होगा।

(अहज़ाब–आयत 28/तिर्मिज़ी1043, इब्ने माजा–2052, अबुदाउद जिल्द 2 हदीस 436)

10. मियाँ–बीवी के बीच झगड़े की हालत में अपने–अपने ख़ानदान में से एक–एक नेक और समझदार आदमी को मुक़र्रर कर के सुलह की कोशिश करनी चाहिये। (निसा–35)

11. तलाक़ देना सिर्फ़ मर्द का हक़ है, औरत का नहीं।

12.सोहबत से पहले अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक़ दे दे तो औरत पर कोई इद्दत नहीं। (ऐसी औरत तलाक़ के–फ़ौरन बाद दूसरा निकाह कर सकती है।)

13.सोहबत करने से पहले दी गई तलाक़ में रूजुअ करने का हक़ (बाक़ी) नहीं रहता। (सूरह अहज़ाब–आयत–49)

14.उजलत या गुस्से में बिना सोचे–समझे तलाक़ देना मना है।

15.जिस तुहर (पाकी) में औरत से सोहबत की हो, उसमें तलाक़ देना मना है।

16.एक साथ तीन तलाक़ें देना मना है।

17.रूजई तलाक़ वाली औरत को इद्दत पूरी होने तक शौहर के घर पर ही रहना चाहिये।

18.रूजई तलाक़ वाली औरत को इद्दत के दौरान घर से निकालना मना है।

19.दौरान इद्दत रूजई तलाक़ वाली औरत का नान व नफ़्क़ा मर्द के ज़िम्मे वाजिब है।

20.तलाक़ के मामले में अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करने वाला फ़रीक़ ज़ालिम है। (सूरह तलाक़–आयत 01)

21.निकाह के बाद अगर सोहबत करने से पहले जबकि मेहर अभी तय न हुआ हो, कोई, शख़्स अपनी बीवी को तलाक़ दे दे तो उस पर मेहर अदा करना वाजिब नहीं। अलबत्ता अपनी हैसियत के मुताबिक़ औरत को कुछ ''हदया'' देना चाहिये। बक़रः– 236

22.निकाह के बाद अगर सोहबत करने से पहले जबकि मेहर तय हो चुका हो, कोई शख़्स अपनी बीवी को तलाक़ दे दे तो उस पर आधा मेहर अदा करना वाजिब है। और अगर सारा मेहर अदा करे तो यह और बेहतर है।

बक़र :– 237

## (''तलाक़'' की क़िस्में)

### तलाक़ की तीन क़िस्में हैं।

1. मसनून तलाक़
2. ग़ैर मसनून तलाक़
3. बातिल तलाक़

### (1) ''मसनून तलाक़''

हैज़ से पाक होने के बाद जबकि बीवी से सोहबत न की हो, पाकी की हालत में (बीवी) को एक तलाक़ देना चाहिये। इद्दत के दिनों में बीवी को अपने साथ रखकर उसका (नान–नफ़्क़ा) ख़र्चा उठाना चाहिये। (अबुदाउद जिल्द 2 हदीस 412)

## (2) ''ग़ैर मसनून तलाक़''

1. दौराने हैज़ औरत को तलाक़ देना।
2. जिस पाकी (तुहर) में सोहबत की हो, उसमें तलाक़ देना।
   (यह ग़ैर मसनून तलाक़–वाक़ेअ़ हो जाती है)

(मुस्लिम 2697)

## (3) '' बातिल तलाक़''

1. निकाह से पहले तलाक़ देना बातिल है। (इब्ने माजा–2047, 2049)
2. ज़बरदस्ती दिलाई गई तलाक़ बातिल है। (इब्ने माजा–2043)
3. नाबालिग़, पागल और मदहोश की तलाक़ बातिल है। (इब्ने माजा–2041)
4. दिल में दी गई तलाक़ बातिल है। (अबु दाऊद जिल्द 2 हदीस 442/इब्ने माजा–2040)

## ''तरीक़ा–ए–तलाक़''

1. हैज़ से पाक होने के बाद पाकी की हालत में एक तलाक़ देना चाहिये।
2. जिस पाकी में तलाक़ देनी हो उसमें जमाअ (सोहबत) नहीं करना चाहिये।

(रावी–इब्ने उमर राज़ि.–इब्ने माजा–2019)

3. रूजई तलाक़ की इद्दत में बीवी को अपने साथ रखना चाहिये।
4. एक वक़्त में सिर्फ़ एक ही तलाक़ देना चाहिये।
5. इद्दते तलाक़ (तीन हैज़) गुज़रने के बाद मियां–बीवी में अलहेदगी हो जायेगी।

(रावी–इब्ने उमर रज़ि.–इब्ने माजा–2023)

## तलाक से रूजुअ करने का बयान

रूजई तलाक में किसी मर्द का तलाक देने के बाद इद्दत के दौरान बगैर निकाह के बीवी की तरफ रूजुअ करना यानि उसे अपना लेना रूजुअ करना कहलाता है।

इमरान बिन हसीन रजि. मरवी है के उनसे ऐसे आदमी के बारे में पूछा गया के जो तलाक देता है फिर रूजुअ कर लेता है और उस पर गवाह नहीं बनाता। आपने फरमाया के ''औरत को तलाक देते और उससे रूजुअ करते वक्त गवाह मुकर्र कर।'' (अबुदाउद जिल्द 2 हदीस 419) बैहक़ी में है कि गवाह ना बनाना गैर मसनून है और तबरानी में इतना ओर ज्यादा है के गवाह ना बनाने पर अल्लाह से माफी मांगना चाहिये। (बलुगुल मराम जिल्द 2 सफा 707–708)

**वज़ाहत :–** रूजई तलाक में शोहर अगर रूजुअ ना करें और इद्दत पूरी हो जाए तो बीवी आजाद हो जायेगी। अगर दोनो फिर से मिलना चाहे तो उन्हे आपस में नया निकाह नये मेहर के साथ करना होगा।

## –ख़ुलअ़–

औरत का मेहर में शौहर से लिया हुआ माल वापिस देकर शौहर से जुदा और अलग होना ''ख़ुलअ'' कहलाता है।

इब्ने अब्बास रज़ि. से मरवी है कि साबित बिन क़ैस रज़ि. की बीवी नबी सल्ल. की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्ल. ! मैं साबित बिन क़ैस के अख़लाक़ और दीन पर कोई ऐब नहीं लगाती, लेकिन इस्लाम में कुफ़्र को ना पसन्द करती हूँ। रसूल सल्ल. ने फरमाया–क्या तू उस का बाग़ वापिस कर देगी? वह बोली–हां। तो रसूल सल्ल. ने फ़रमाया–ऐ साबित! अपना बाग़ ले लो और इसे तलाक़ दे दो। (बुख़ारी 5273)

अबुदाऊद और तिर्मिज़ी में है कि नबी सल्ल. ने उसके लिये ''इद्दते ख़ुलअ़'' एक हैज़ मुक़र्रर फ़रमाई/ (अबु दाऊद जिल्द 2 हदीस 459/तिर्मिज़ी 1051)

जब ख़ाविन्द अल हेदगी के लिये अपना दिया हुआ हक़ मेहर वापिस ले ले तो जुदाई वाक़ेअ़ हो जायेगी और बग़ैर तलाक़ दिये निकाह टूट जायेगा।

अइम्मा में– अबु हनीफ़ा रह., शाफ़ई रह. और मालिक रह. के नज़दीक ख़ुलअ तलाक़ है और अहमद रह. के नज़दीक ख़ुलअ फ़सख़ है (तलाक नहीं)

मालिक रह. और शाफ़ई रह. और कई की यह राय है कि जब नफ़रत का इज़हार औरत की तरफ़ से हो तो मर्द के लिये (मेहर से) ज़्यादा लेना जाइज़ है। अहमद रह. और इसहाक़ रह. वग़ैरह ज़्यादा लेने के क़ायल नहीं। (बलूग़ अल मराम जिल्द 2 सफा 695)

व सल्ललाहु अला नबीयिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। बि रहमतिका या अरहमर राहेमीन।

व आख़िरू दअवाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलामीन।

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमारी ज़िन्दगी में तलाक की नोबत ना आने दे और इस पर्चे को शर्फे कुबुलियत अता फरमाये। लोगों को इससे फायदा पहुंचाये और हमारे जो भाई इन पर्चो को आपतक पहुंचाने में हमारे साथ तआवुन करते है उन्हें जज़ाऐं खैर से नवाज़े।

आमीन!

अहले इल्म हज़रात से गुज़ारिश है कि
हमारी ग़लती पर हमारी इस्लाह फ़रमाए।
शुक्रिया!
दिनांक 01/01/2009

आपका दीनी भाई
**मुहम्मद सईद**
मो.9214836639